Free Press Journal, Mumbai, 02/11/2025
Page No: 10, Size: 28.20cm × 19.79cm

AP Govt enforces state-wide ban on begging

METRO INDIA NEWS | AMARAVATI

The Andhra Pradesh government has taken a major step towards eliminating begging across the state by enforcing the "Begging Prohibition (Amendment) Act, 2025." The law came into effect after receiving the Governor's assent and was officially notified in the State Gazette on October 27. With this, begging in any form is now considered a criminal offence throughout Andhra Pradesh.

The government noted that begging had evolved into an organized network, with certain groups exploiting the poor and destitute for financial gain. The new legislation aims not only to curb this menace but also to rehabilitate those engaged in begging, helping them regain dignity and access to welfare schemes. Implementation will be jointly monitored by the Departments of Welfare and Police.

As part of the reform, the government also revised outdated terminology in the 1977 Begging Prohibition Act following recommendations from the National Human Rights Commission (NHRC). Terms like "Leper" and "Lunatic", considered derogatory, have been replaced with "person affected by leprosy" and "person with mental illness."

The amendments, unanimously passed in both Houses and approved through G.O. Ms. No. 58, reflects a move toward more respectful and humane language in state laws while reinforcing Andhra Pradesh's commitment to social justice and human dignity.

Times of India, Hyderabad, 02/11/2025
Page No: 7, Size: 25.85cm × 18.04cm

MRPS condemns attack on CJI, takes out 'Dalit self-respect rally'

Koride.Mahesh
@timesofindia.com

Hyderabad: Madiga Reservation Porata Samithi (MRPS) founder Manda Krishna Madiga questioned why the Delhi police did not register a case against the lawyer who tried to attack Chief Justice of India (CJI) Justice BR Gavai.

He said that all systems in the country have remained silent, displaying the persistence of untouchability. Condemning the attack on Justice Gavai, the MRPS, along with thousands of participants, took out a 'Dalit self-respect rally' from Indira Park to Babu Jagjivan Ram's statue.

Speaking at the rally, Krishna Madiga said that the attack happened because Justice Gavai is a Dalit. "If a judge from a higher caste were in his place, would this attack have occurred?" he asked, adding that they view the incident as an attack on Dalits because of Gavai's identity. He questioned why the Delhi police had not yet filed a case and why the Supreme Court had not taken suo motu cognisance of the matter. He also questioned the NHRC's silence on the incident. Stating that the Dalit self-respect struggle in Hyderabad marks only the beginning, he said the movement would soon be intensified at the national level.

Announcing 'Chalo Delhi' on Nov 17, he said a massive Dalit self-respect will be organised across the country. He criticised political parties for their double standards on Justice Gavai's case, questioning why they haven't demanded legal action or punishment against the lawyer involved.

Metro India

AP Govt enforces state-wide ban on begging

https://www.metroindia.net/news/articlenews/ap-govt-enforces-state-wide-ban-on-begging-31612

02-11-2025 12:00:00 AM

The Andhra Pradesh government has taken a major step towards eliminating begging across the state by enforcing the “Begging Prohibition (Amendment) Act, 2025.” The law came into effect after receiving the Governor’s assent and was officially notified in the State Gazette on October 27. With this, begging in any form is now considered a criminal offence throughout Andhra Pradesh.

The government noted that begging had evolved into an organized network, with certain groups exploiting the poor and destitute for financial gain. The new legislation aims not only to curb this menace but also to rehabilitate those engaged in begging, helping them regain dignity and access to welfare schemes. Implementation will be jointly monitored by the Departments of Welfare and Police.

As part of the reform, the government also revised outdated terminology in the 1977 Begging Prohibition Act following recommendations from the National Human Rights Commission (NHRC). Terms like “Leper” and “Lunatic”, considered derogatory, have been replaced with “person affected by leprosy” and “person with mental illness.”

The amendments, unanimously passed in both Houses and approved through G.O. Ms. No. 58, reflects a move toward more respectful and humane language in state laws while reinforcing Andhra Pradesh’s commitment to social justice and human dignity.

Deccan Chronicle

Manda Faults Govt Silence on CJI Gavai Attack

https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telangana/manda-faults-govt-silence-on-cji-gavai-attack-1914240

DC Correspondent | 2 November 2025

Hyderabad: MRPS founder president Manda Krishna Madiga strongly condemned the silence of governments and government agencies over the attack on Chief Justice of India B.R. Gavai, terming it a reflection of caste discrimination deeply rooted in the country's systems. Addressing Dalit self-respect rally organised by the Madiga Reservation Porata Samithi (MRPS) from Indira Park to the Babu Jagjivan Ram statue in Hyderabad on Saturday, he said that Dalits continued to remain "untouchables" even for constitutional and law enforcement agencies.

He questioned why Delhi Police had not registered a case over the attack and why the Supreme Court did not take up the issue suo motu. "If a judge from an upper caste had faced such an attack, the response would have been immediate. But because Justice Gavai is a Dalit, the system has chosen silence," he alleged, adding that this discriminatory attitude was inhuman and dangerous to democracy. He also criticised the National Human Rights Commission for remaining silent.

Krishna said that the attack on Justice Gavai was not just on an individual but on the entire Dalit community, the judiciary, and the Constitution itself. He said that those who oppose the Constitution are anti-national and that Dalits were ready to wage a nationwide struggle for justice. "When attacks are justified in the name of faith and religion, it is a crime under law. Why are the culprits not being punished or even arrested," he asked.

The Padma Shri awardee said Dalits would no longer tolerate atrocities and discrimination, citing the rising violence against Dalits for marrying outside their caste, growing moustaches, or drinking water in schools. "This must end somewhere," he said, announcing a national-level movement demanding justice for Justice Gavai. Manda Krishna called upon Dalits from across the country to participate in the 'Chalo Delhi' rally on November 17 to assert their dignity and demand equal protection under law.

Noted MRPS leaders, including national president Dr Munnangi Nagaraju Madiga, Telangana president Govindu Naresh Madiga, Andhra Pradesh president Rudrapogu Suresh Madiga, and representatives from Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Chhattisgarh, and Uttarakhand, participated in the rally, pledging to intensify the nationwide Dalit self-respect movement.

ET Infra

NHRC Orders Investigation into Systematic Exploitation of Railway Station Masters, ETInfra

https://infra.economictimes.indiatimes.com/news/railways/nhrc-orders-investigation-into-systematic-exploitation-of-railway-station-masters/125008977

Railways

2 min read

NHRC asks Railway Board to conduct inquiry on 'exploitation' of station masters

The human rights body has issued notices to the chairman of Railway Board and the Chief Labour Commissioner October 27 and asked them to submit an action taken repot within four weeks.

The NHRC, along with its order, has also attached a copy of Paliwal's complaint which alleged unfair practices that pose a serious threat to passengers' safety.Taking note of a retired Railway employee's complaint, the NHRC has directed the Railway Board to conduct an inquiry into the allegations of systematic exploitation and unfair labour practices against station masters - particularly in the Central Zone.

The human rights body has issued notices to the chairman of Railway Board and the Chief Labour Commissioner October 27 and asked them to submit an action taken repot within four weeks.

In his complaint to the Commission, retired station master Virendra Kumar Paliwal alleged that station masters are forced to work unpaid overtime for critical safety duties, subjected to excessive work hours without adequate rest and forced to perform consecutive night duties.

"The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the human rights of the victims," the National Human Rights Commission (NHRC) said in an order.

It added that these practices "violate constitutional rights and labour laws", leading to deteriorating health among employees and increased safety risks in railway operations.

"The complainant has urged the authorities to investigate and stop these unfair practices, ensure proper compensation, and uphold the rights and dignity of station masters," the Commission said.

The NHRC, along with its order, has also attached a copy of Paliwal's complaint which alleged unfair practices that pose a serious threat to passengers' safety.

Paliwal has contended that station masters are subjected to eight unfair labour practices such as forced unpaid labour, violation of 'Hours of Employment Regulations (HOER) 2005', seven consecutive night duties and discrimination in allowances and postings.

He added that the rosters are fabricated, there are unauthorized annual performance reports (APAR) writing and career obstruction, non-availability of updated rule books, and illegal diversion of sanctioned posts.

The retired employee also stated that the indifference and inaction of local labour authorities, particularly in conducting timely and regular inspections, have further worsened the situation.

"Consequently, the mental and physical health of Station Master employees is deteriorating, and this alarming state of affairs has also created a serious risk to the safety and smooth functioning of railway operations," Paliwal said.

He added, "Due to fear of reprisal from higher authorities, these employees are unable to present their grievances before the appropriate forums."

Making a special reference to Nagpur Division (Central Railway), Paliwal claimed that the directives, rules, and labour laws issued by the Government of India and the Ministry of Railways are being blatantly violated by certain officials.

"As a result of such arbitrary practices, Station Master employees are being subjected to continuous exploitation," he alleged.

Deshbandhu

नई दिल्ली: एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस, स्टेशन मास्टरों के शोषण की जांच के आदेश

https://deshbandhump.com/post/new-delhi-nhrc-sent-notice-to-railway-board-ordered-investigation-into-exploitation-of-station-masters

नई दिल्ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे में स्टेशन मास्टरों के साथ हो रहे कथित शोषण के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड और मुख्य श्रम आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला मध्य रेलवे जोन से सामने आई एक शिकायत के बाद संज्ञान में आया है। रिटायर्ड स्टेशन मास्टर वीरेंद्र कुमार पालीवाल ने एनएचआरसी को दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि देशभर में स्टेशन मास्टरों से लगातार 8 से 10 घंटे तक काम कराया जाता है, कई बार बिना किसी आराम और अतिरिक्त भुगतान के। शिकायत में यह भी कहा गया कि ड्यूटी रोस्टर में हेरफेर, भत्तों में भेदभाव और लगातार रात की ड्यूटी अब आम प्रथा बन चुकी है।

आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि यह न केवल कर्मचारियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि रेलवे परिचालन की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एनएचआरसी ने अपने आदेश में लिखा कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह कर्मियों के साथ अमानवीय व्यवहार की श्रेणी में आएगा।

पालीवाल ने आरोप लगाया कि देशभर में स्टेशन मास्टर आठ प्रकार की अनुचित श्रम प्रथाओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें 'रेल सेवक कार्य घंटे एवं विश्राम अवधि नियम-2005' का उल्लंघन, बिना भुगतान के अतिरिक्त काम, प्रमोशन और एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में अनियमितता जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने नागपुर मंडल का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकारी नियमों की अनदेखी कर कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड से जवाब मांगते हुए इस मुद्दे पर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आयोग के इस हस्तक्षेप से स्टेशन मास्टरों की कार्य परिस्थितियों में सुधार आएगा और रेलवे प्रशासन में जवाबदेही तय होगी।

Hindustan

जनशिकायत को रेलवे ने लिया गंभीरता से, मांगा रिपोर्ट

https://www.livehindustan.com/bihar/lakhisarai/story-nhrc-orders-action-on-passenger-facilities-at-mankatha-station-201762024556321.html

2 नवंबर 2025

संक्षेप: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मनकट्ठा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की खराब स्थिति को लेकर शिकायत को गंभीरता से लिया। आयोग ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक को एक माह में आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शिकायत में स्टेशन की मूलभूत सुविधाओं की कमी और अन्य समस्याओं का जिक्र किया गया है।

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अवध बिहारी पाण्डेय, सदस्य क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, पूर्व मध्य रेल एवं कार्यकारी राज्याध्यक्ष, बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन द्वारा दायर संयुक्त जन आवेदन को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल छत्रसाल सिंह को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे संबंधित प्राधिकारी को उचित कार्रवाई हेतु भेजा है। साथ ही जीएम, ईसीआर को आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। श्री पाण्डेय ने 26 फरवरी 2025 को दायर अपने आवेदन में मनकट्ठा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की बदहाल स्थिति, मानवाधिकारों के उल्लंघन और स्टेशन को समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाया था।

उन्होंने बताया कि यह स्टेशन दो जिलों, दो लोकसभा क्षेत्रों और तीन प्रखंडों के करीब दो लाख लोगों के आवागमन का मुख्य साधन है, जहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आवेदन में मनकट्ठा स्टेशन पर एफ ओबी निर्माण, पैनल और भीएचएफ सेट की पुनर्स्थापना, जर्जर प्रतीक्षालय का नवीनीकरण, प्लेटफार्म पर मालगाड़ी खड़ी करने पर रोक, और स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने जैसी प्रमुख मांगें उठाई गईं। उन्होंने बताया कि हाल में हाजीपुर में हुई रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी इन मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया गया था। अब एनएचआरसी के आदेश से उम्मीद है कि रेल प्रशासन मनकट्ठा स्टेशन की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगा।

NAVBHARAT, Online, 2.11.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Navbharat Live

NHRC की टेढ़ी नजर, नागपुर मंडल में स्टेशन मास्टर्स का शोषण! रेलवे बोर्ड अध्यक्ष-आयुक्त को नोटिस जारी

Exploitation of Railway Employees: एनएचआरसी ने नागपुर मंडल के स्टेशन मास्टर्स के मानवाधिकार उल्लंघन पर रेलवे बोर्ड को नोटिस भेजा। 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश।

https://navbharatlive.com/maharashtra/nagpur/nhrc-notice-to-railway-board-over-human-rights-violation-of-station-masters-nagpur-1407194.html

By प्रिया जैस

Updated On: Nov 01, 2025 | 09:31 AM

Human Rights Violation in Railway: एक अभूतपूर्व मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य रेल नागपुर मंडल में कार्यरत स्टेशन मास्टरों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष (सीआरबी) और मुख्य श्रम आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया है जिसमें स्टेशन मास्टर्स के शोषण और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यह मामला मध्य रेलवे के नागपुर मंडल से संबंधित है।

4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का आदेश

उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त रेल कर्मी शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार पालीवाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रेलवे अधिकारी अनुचित श्रम प्रथाओं में लिप्त हैं। उनके साथ पूर्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक कटारे सह-याचिकाकर्ता हैं। दोनों ने मंडल अधिकारियों की ओर से 13 प्रकार के उल्लंघनों का विवरण दिया है। प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एनएचआरसी पीठ ने इस मामले को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर 4 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की जाए। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय रेलवे प्रशासन से डेटा मांगा है, ताकि आयोग के समक्ष जवाब दाखिल किया जा सके। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सुनियोजित शोषण का गंभीर आरोप

शिकायत में कहा गया है कि नागपुर मंडल के अधिकारी स्टेशन मास्टर्स के अधिकारों का सुनियोजित शोषण कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर्स को नियमित रूप से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी के लिए मजबूर किया जाता है जो ऑवर्स ऑफ इम्प्लाइमेंट रेगुलेशन (एचओईआर) का सीधा उल्लंघन है।

इतना ही नहीं, ड्यूटी के बाद उन्हें निर्धारित 10 घंटे का विश्राम भी नहीं दिया जाता और सात-साढ़े सात घंटे के भीतर दोबारा ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। इसके अलावा, लगातार रात्रि ड्यूटी, मनमानी पोस्टिंग, विरोध करने वालों के विरुद्ध अनुचित कार्रवाई और मूल्यांकन में भेदभाव जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

NAVBHARAT, Online, 2.11.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर

शिकायत में कहा गया है कि इन अमानवीय कार्य प्रणालियों से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और ट्रेन संचालन की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ रहा है। शिकायतकर्ताओं ने मानवाधिकार आयोग से अपील की है कि वह इन अनुचित श्रम प्रथाओं की जांच करे, शोषण को रोके, उचित मुआवजा सुनिश्चित करे और स्टेशन मास्टर्स के अधिकारों व गरिमा की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।

Hindustan

लखीसराय : जनशिकायत को रेलवे ने लिया गंभीरता से, मांगी रिपोर्ट

https://www.livehindustan.com/bihar/bjp-engaged-in-encircling-tejashwi-in-raghopur-brought-rakesh-roshan-into-its-fold-201762008014589.amp.html?articleNo=1

Sat, 1 Nov 2025, 05:25:PM Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर

लखीसराय । एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अवध बिहारी पाण्डेय, सदस्य क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, पूर्व मध्य रेल एवं कार्यकारी राज्याध्यक्ष, बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन द्वारा दायर संयुक्त जन आवेदन को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल छत्रसाल सिंह को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे संबंधित प्राधिकारी को उचित कार्रवाई हेतु भेजा है। साथ ही जीएम, ईसीआर को आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। श्री पाण्डेय ने 26 फरवरी 2025 को दायर अपने आवेदन में मनकट्ठा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की बदहाल स्थिति, मानवाधिकारों के उल्लंघन और स्टेशन को समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाया था।

उन्होंने बताया कि यह स्टेशन दो जिलों, दो लोकसभा क्षेत्रों और तीन प्रखंडों के करीब दो लाख लोगों के आवागमन का मुख्य साधन है, जहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आवेदन में मनकट्ठा स्टेशन पर एफ ओबी निर्माण, पैनल और भीएचएफ सेट की पुनर्स्थापना, जर्जर प्रतीक्षालय का नवीनीकरण, प्लेटफार्म पर मालगाड़ी खड़ी करने पर रोक, और स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने जैसी प्रमुख मांगें उठाई गईं। उन्होंने बताया कि हाल में हाजीपुर में हुई रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी इन मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया गया था। अब एनएचआरसी के आदेश से उम्मीद है कि रेल प्रशासन मनकट्ठा स्टेशन की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगा।

Janta Se Rishta

NHRC ने Odisha अधिकारियों को बलात्कार पीड़िता के मुआवजे में तेजी लाने का निर्देश दिया

https://jantaserishta.com/local/odisha/nhrc-directs-odisha-authorities-to-expedite-compensation-to-rape-victim-4356300

1 नवंबर 2025

Kendrapara केंद्रपाड़ा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ओएसएलएसए) को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत एक बलात्कार पीड़िता को मुआवज़ा भुगतान में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है। यह आदेश केंद्रपाड़ा स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता सागर जेना द्वारा दायर एक याचिका पर आया है। एनएचआरसी ने चार हफ़्तों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट माँगी है और ओएसएलएसए को पीड़िता को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रपाड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को इस प्रक्रिया की निगरानी करने और चार हफ़्तों के भीतर आयोग को भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ओएसएलएसए को 5 दिसंबर, 2025 तक आवश्यकतानुसार कोई भी अतिरिक्त या पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, पीड़िता, जो एक महिला बस कंडक्टर है, के साथ महाकालपाड़ा पुलिस सीमा के अंतर्गत एक बस स्टैंड पर बस टर्मिनल पर पर्यवेक्षक के रूप में काम करने वाले आरोपी ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। 21 जुलाई, 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित कैंप कोर्ट में आयोग ने मामले की समीक्षा की। सुनवाई में मौजूद केंद्रपाड़ा के एसपी ने पुष्टि की कि एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुआवज़े के संबंध में, एसपी ने बताया कि उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), केंद्रपाड़ा के सचिव से पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत भुगतान शुरू करने का अनुरोध किया है। एनएचआरसी ने सचिव को निर्देश दिया कि यदि अनुरोध प्राप्त हुआ है तो तीन सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए और एसपी को चार सप्ताह के भीतर भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। एनएचआरसी ने खेद व्यक्त किया कि संबंधित अधिकारियों से मुआवज़े के संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने ज़ोर देकर कहा कि डीएलएसए, केंद्रपाड़ा को बिना किसी वैध कारण के पीड़ित के मुआवज़े में देरी नहीं करनी चाहिए, और कहा कि अंतरिम या पूर्ण मुआवज़े का अधिकार अदालत द्वारा सुनवाई के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

The Mooknayak

"ज्यादा कानून मत सिखाइए, वरना दिखा देंगे...", बेऊर जेल में पत्रकार को मिली धमकी, पत्नी ईप्सा शताक्षी ने NHRC से की शिकायत

पत्रकार रूपेश सिंह की पत्नी ईप्सा शताक्षी की NHRC से गुहार। आरोप- जेल में "भ्रष्टाचार" पर सवाल किया तो मुख्य कक्षपाल बोला- "ज्यादा कानून मत सिखाओ..."

https://www.themooknayak.com/society/journalist-rupesh-singh-threatened-in-beur-jail-nhrc-complaint

Rajan Chaudhary | Published on: 01 Nov 2025, 1:00 pm

पटना: बिहार के पटना स्थित आदर्श केन्द्रीय कारा (बेऊर) में बंद एक विचाराधीन बंदी और स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को जेल में कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। उनकी पत्नी ईप्सा शताक्षी ने इस संबंध में 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को एक औपचारिक शिकायत पत्र भेजा है।

ईप्सा शताक्षी का आरोप है कि बेऊर जेल में "भ्रष्टाचार का बोल बाला है" और उनके पति को जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जब रूपेश सिंह ने इस पर सवाल उठाया तो उन्हें जेल के मुख्य कक्षपाल गिरिश यादव द्वारा धमकाया गया।

शताक्षी ने NHRC को लिखे अपने पत्र में बताया कि 26 अक्टूबर 2025 को जेल के एसटीडी से हुई बातचीत में उनके पति ने उन्हें इस घटना की जानकारी दी। रूपेश सिंह के अनुसार, जब उन्होंने मुख्य कक्षपाल से जेल मैनुअल के हिसाब से डाइट (खाना) देने को कहा, तो कक्षपाल ने धमकाते हुए कहा, "जो मिलता है वह खाइए, ज्यादा कानून मत सिखाइए, वरना दिखा देंगे"।

ईप्सा ने इस धमकी को "अनुचित ही नहीं डरावना भी" बताया है। उन्होंने कहा कि जो बंदी पहले से ही समाज से कटे हुए हैं, उनके लिए ऐसे माहौल में रहना पीड़ादायक है।

कौन हैं रूपेश कुमार सिंह?

रूपेश कुमार सिंह पेशे से एक स्वतंत्र पत्रकार और एक किताब के लेखक हैं। उनकी पत्नी के अनुसार, उनकी ज्यादातर रिपोर्टिंग समाज के हाशिए पर पड़े लोगों और मानवाधिकारों के उल्लंघन व आदिवासी लोगों के उत्पीड़न पर केंद्रित रही है।

ईप्सा शताक्षी ने बताया कि रूपेश सिंह की गिरफ्तारी 17 जुलाई 2022 को हुई थी, जो उनके अनुसार "प्रदूषण पर किए गए एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद हुई थी"। उन पर माओवादी कनेक्शन का आरोप लगाया गया और धीरे-धीरे चार मामले दर्ज किए गए, जिनमें तीन झारखंड और एक बिहार का है।

वर्तमान में वह NIA, पटना के केस संख्या 19/22 में विचाराधीन बंदी हैं और उनका मामला पटना के एनआईए कोर्ट में चल रहा है।

जेल में स्वास्थ्य की गंभीर अनदेखी का आरोप

शिकायत में केवल धमकी का ही जिक्र नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर अनदेखी का भी आरोप लगाया गया है। रूपेश सिंह को 23 अक्टूबर 2025 को शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, भागलपुर से वापस बेऊर जेल लाया गया है।

ईप्सा ने बताया कि भागलपुर जेल में उनके पति बेचैनी, घबराहट, कमर व पैरों में दर्द से पीड़ित थे। उन्हें गंभीर एलर्जी की भी समस्या है, जिसमें सुबह उठते ही सर्दी हो जाती है और गर्म पानी की जरूरत होती है।

22 अगस्त की एक लिपिड प्रोफाइल जांच में उनका VLDL CHOLESTEROL-125 (सामान्य: 30 से कम) और Serum Triglycerides - 519 (सामान्य: 150 से कम) पाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक, यह स्तर स्ट्रोक और दिल के दौरे का खतरा बढ़ाता है।

एक्स-रे में पता चला था कि उनकी कमर की नस दबी हुई है, जिसके लिए बेल्ट और रेगुलर चेकअप की सलाह दी गई थी।

पत्नी का आरोप है कि बेऊर जेल लाए जाने के बाद (एक महीने से ज्यादा समय) उन्हें एक बार भी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया है। दर्द बताने पर डॉक्टर की जगह कम्पाउंडर को भेज दिया जाता है।

"आवाज़ उठाने पर दूसरी जेल भेज दिया जाता है"

ईप्सा शताक्षी का आरोप है कि यह प्रताड़ना का एक पैटर्न है। उनके पति को 22 जनवरी 2024 को बेऊर जेल से भागलपुर स्थानांतरित किया गया था। उनका दावा है कि इसका मूल कारण भी जेल में हो रही अनियमितता पर आवाज उठाना था।

यह स्थानांतरण 6 महीने के लिए किया गया था, पर 20 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर उनकी वापसी हुई। भागलपुर में भी उन्हें पूरे 20 महीने सेल में ही रखा गया था।

अब बेऊर जेल में वापस आने पर भी उन्हें नार्मल वार्ड की जगह सेल (गोलघर) में रखा गया है। उन्हें 8x8 के छोटे से कमरे में तीन लोगों के साथ रखा गया है।

ईप्सा शताक्षी ने NHRC से निवेदन किया है कि जेल में हो रहे इस मानवाधिकार हनन, जिसमें उचित खान-पान व स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और सवाल पूछने पर धमकी दी जा रही है, इस पर समुचित पहल की जाए।